बी.ए. द्वितीय वर्ष
प्रथम प्रश्न-पत्र

— डा० कृपा शंकर यादव

## ⇒ अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विचार

→ "नागरिक वही है जो किसी राज्य की न्याय व्यवस्था और व्यवस्थापिका में एक सदस्य के रूप में भाग लेने की क्षमता रखता है।" — अरस्तू

— राज्य (Polis) नागरिकों (Politia) का एक समुदाय (Koinonia) है।

[ नगर-राज्य के प्रत्येक निवासी को नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता
[ नगर राज्य में रहने वाले सभी विदेशियों, दासों, अभियुक्तों, श्रमिकों, शिल्पियों, स्त्रियों आदि को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है।

— अतः नागरिक, आधुनिक युग के नागरिक के समान अपने शासकों को केवल निर्वाचित करने वाला नागरिक नहीं है बल्कि शासन के कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने वाला, बारी-बारी से शासक और शासित बनने वाला, न्याय और विधि निर्माण के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देने वाला नागरिक है।

## ⇒ अरस्तू के कानून सम्बंधी विचार

→ अरस्तू प्लेटो के लॉज में प्रतिपादित विधि अनुसार प्रशासित राज्य के विचार से बहुत प्रभावित और प्रेरित हुआ।

— अरस्तू के अनुसार एक व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि के शासन को उत्तम माना जाना चाहिए।

— राज्य में कानून सर्वोच्च होता है और समस्त शासन-व्यवस्था को उसकी सर्वोच्चता के अंतर्गत रहते हुए कार्य करना चाहिए।

→ कानून के प्रकार
① विशेष कानून :- राज्य विशेष के नागरिकों के लिए।
② सार्वभौमिक कानून :- प्राकृतिक कानून के अनुरूप सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य होता है। ये कानून जनता के सामूहिक एवं परिपक्व ज्ञान और अनुभव से उत्पन्न होते हैं, अतः नागरिकों के कर्तव्य पालन करने योग्य होते हैं। ऐसे कानून स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होते हैं।

— कानून एक निष्पक्ष तत्व है, जो शासितों का सम्मान और शासकों को मर्यादित बनाए रखता है।